11 6/18

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार–2018"

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर

अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
73/2013/वाद पत्र	19.06.2013	11.06.2018

उनवान

1–3 रामबक्ष, श्रवण, हीरा पिता रूपा गुर्जर नि0 रामपुरा (खामोर) तह0 शाहपुरा – वादीगण

बनाम

1– जिलाधीश महोदय, भीलवाड़ा

2– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री लालाराम गुर्जर : अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम रामपुरा (खामोर) प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा मे पुराने आ0न0 7/3 रकबा 57 बीघा 11 बिस्वा बिलानाम आराजी स्थित थी, जिसमे से वादीगण के पिता श्री रूपा जी को 5 बीघा कृषि आराजी पर काबिज होकर वर्षो से काश्त करते चले आ रहे थे इसलिए वादीगण के पिता को आ0न0 7/3 मे से 5 बीघा आराजी आवंटन कमेटी द्वारा पूर्ण जॉच करते हुए की गई जिसके नम्बर 2220/7/3 किये गये। वादीगण के पिता रूपा पिता चोथू गुर्जर के नाम से मिसल नं0 689/82 दिनांक 10.06.1982 तैयार की गई। पट्टा फीस व लगान जमा करते हुए उक्त भूमि पर वर्षो से कब्जा चला आने से मिसल तैयार करके आवंटन किया गया और दिनांक 13.02.1983 को नामान्तरकरण संख्या 1269 से आ0न0 7/3 मे से 5 बीघा भूमि का नामान्तरकरण खोला जाकर फैसल किया गया। जिससे वादीगण के पिता के नाम से गैर खातेदारी से खातेदारी मे दर्ज करते हुये नामान्तरकरण फैसल किया गया। जमाबन्दी संवत 2042 से 45 मे वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज है और अलोट हुई तब से लेकर उक्त भूमि वादीगण के पिता के बिना किसी प्रकार की बाधा के उपयोग एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है। वादीगण के पिता के फोत होने के पश्चात् वादीगण उनके पिता के जीवनकाल से ही जब से समझने लगे तब से काबिज होकर काश्त कर रहे है। शाहपुरा तहसील मे सेटलमेन्ट का कार्य चला जो पूर्ण हो चुका है। उक्त सेटलमेन्ट के दौरान कर्मचारियों ने बिना वादीगण को सूचना किये एवं बिना सुने ही पेरा नं0 2 मे वर्णित भूमि को बिलानाम कर दिया। जिससे वादीगण पुनः अपने पर कराने खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी होने से यह वाद पत्र पेश कर रहे है। साबिक आ0न0 7/3 मी रकबा 5 बीघा के हाल नम्बर 374 व 375 रकबा 0.47 है0 एवं 0.82 है0 कुल रकबा 1.31 है0 बनाये है। जिसे वादीगण के नाम पर दर्ज फरमाई जावे। अतः वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी फरमायी जावे कि वाद के पेरा 2 मे वर्णित आ0न0 7/3 मी रकबा 5 बीघा भूमि जो

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

खातेदारी मे दर्ज थी जिसके नये नम्बर 374 व 375 रकबा 0.47 है0 एवं 0.82 है0 कुल रकबा 1.31 है0 भूमि जो बिलानाम कर दी है। उसे पुनः वादीगण के नाम पर खातेदारी मे दर्ज किये जाने की डिक्री सादिर फरमायी जावे। वादीगण के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की जारी फरमायी जावे कि वाद पत्र के पेरा नं0 2 मे वर्णित आराजीयात के वादीगण के उपयोग एवं कब्जे काश्त मे बाधा कारित नही करे एवं न वादीगण को बेदखल करे न करावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.07.2013 को प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं जवाब हेतु अवसर की मांग की गई। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमे बताया कि साबिक खसरा नम्बर 2220/7/3 से मिलकर हाल नम्बर नही बने है बल्कि 7/3 से बने है। प्रकरण मे दिनांक 09.02.2016 को तनकीयात कायम की गई। दिनांक 08.03.2016 वादी रामबक्ष, दलेलसिंह राजपूत नि0 रामपुरा, शिवसिंह राजपूत नि0 रामपुरा के शथ पत्र साक्ष्य मे रूप मे पेश किये गये जो क्रमशः पी0डब्ल्यू0 – 1, 2, व 3 है। पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य से कोई जिरह नही की गई। प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र खामोर पर दिनांक 11.06.2018 को वास्ते सुनवाई हेतु रखा गया। मौके पर वादीगण मय अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक वादीगण द्वारा दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली हो। अभिभाषक वादीगण को सुना गया। अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों व दस्तावेजात के आधार पर वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1269 ग्राम खामोर बिलानाम गैर काबिल काश्त आ0न0 7/3 रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा किस्म उसर मे से 2220/7/3 रकबा 5 बीघा रूपा पिता चोथू गुर्जर के नाम मिसल नम्बर 689/82 आवंटन 10.06.1982 गैर खातेदारी से दर्ज है। नामान्तरकरण ग्राम रामपुरा प0ह0 खामोर खाता संख्या 28 आ0न0 2220/7/3 रकबा 5 बीघा रूपा पिता चोथू गुर्जर सा0 देह खातेदारी से दर्ज हुई। जमाबन्दी ग्राम रामपुरा संवत 2042 से 45 खाता संख्या 95 मे इसी का अंकन किया गया है। मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक नम्बर से हाल नम्बरों का मिलान खाता है। छूटे हुये खातों की सूची के क्रमांक 2 पर रूपा पिता चोथू गुर्जर सा0 देह खातेदार 7/3 रकबा 5 बीघा दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम रामपुरा संवत 2066 से 2069 हाल नम्बर 374, 375 रकबा क्रमशः 0.49 है0, 0.82 है0 बारानी तृतीय बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 10.06.1982 को आ0न0 7/3 रकबा 5 बीघा रूपा पिता चोथू गुर्जर को आवंटन की गई। सिपुर्दगी नामा व नक्शा ट्रेस अनुसार दिनांक 01.07.1982 को आवंटित भूमि सिपुर्द की जाकर नक्शा ट्रेस मे तरमीम किया गया। आवंटन आदेश भी संलग्न है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण के पिता को साबिक आ0न0 7/3 रकबा 5 बीघा भूमि का आवंटन होकर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकण खोला जाकर उसी अनुरूप संवत 2042 से 45 की जमाबन्दी मे अंकन 2220/7/3 रकबा 5 बीघा किस्म उसर रूपा पिता चोथू गुर्जर के नाम दर्ज रेकार्ड रहा है। वक्त सेटलमेन्ट भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा छूटे हुये खातो की सूची क्रमांक 02 पर रूपा पिता चोथू गुर्जर का नाम अंकन करते हुये जमाबन्दी संवत 2066 से 69 मे

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
[illegible] (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 1 मे बिलानाम काबिल काश्त अन्य आराजीयात के साथ आ0न0 374, 375 रकबा क्रमशः 0.49, 0.82 किस्म बारानी तृतीय का इन्द्राज कर दिया गया। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टी0ए0 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम रामपुरा प0ह0 खामोर तहसील शाहपुरा की जमाबन्दी संवत 2066 से 69 मे दर्ज आ0न0 374 रकबा 0.49 है किस्म बारानी तृतीय व आ0न0 375 रकबा 0.82 है0 किस्म बारानी तृतीय बिलानाम काबिल काश्त मे से 1.25 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज एवं नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष रकबा बिलानाम सरकार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

किता 2 रकबा 1.31 है

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार– 2018 अटल सेवा केन्द्र खामोर पर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 यादव)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner